न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 31/2021

कम्प्यूटर नं0 24/2021

सरकार बनाम मदन लाल वर्मा

सी0एन0आर0नं0 यू0पी0बी0पी 010002552021

<u>प्रारम्भिक आदेश</u>

अभियुक्त **मदन लाल वर्मा** उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी उपस्थित हैं।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने की प्रस्थापना किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **मदन लाल वर्मा** के विरूद्ध धारा **323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** तथा **धारा 3 (1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होते हैं। अतः उसे तद्नुसार आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आरोप पृथक प्रपत्र पर तद्नुसार विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 15.11.2021 को प्रस्तुत हो।

अभियोजन साक्षीगण उक्त नियत तिथि के लिए आहूत किये जाये।

अभियुक्त भी उक्त नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांक 11.10.2021

(रजनी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 31/2021
कम्प्यूटरीकृत नं0 24/2021
सरकार बनाम मदन लाल वर्मा
सी0एन0आर0नं0 यू0पी0बी0पी 010002552021

मैं **रजनी सिंह** विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर आप अभियुक्त **मदन लाल वर्मा** को निम्न प्रकार से आरोपित करती हूॅ :–

प्रथमः– यह कि दिनांक 26.09.2020 को समय 08:00 बजे सुबह वहद स्थान ग्राम बभन पुरवा में आपने वादी मुकदमा रामविलास को लाठी–डण्डे व लात घूसा से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जो **धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आप वादी मुकदमा रामविलास को भद्दी–भद्दी गाली देकर अपमानित करते हुए लोक–शाति भंग किये। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जो **धारा 504 भारतीय दण्ड** संहिता के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आपने वादी मुकदमा रामविलास को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यह कि उपरोक्त दिनांक समय एवं स्थान पर आप वादी मुकदमा रामविलास को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, उसे जाति–सूचक शब्द (कोरी चमार) की गाली देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जो **धारा 3 (1) (ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आदेशित करती हूॅ कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपों के अधीन आपका विचारण किया जायेगा।

दिनांक 11.10.2021

(रजनी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये गये, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक 11.10.2021

(रजनी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।